छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/पंचा.–1206/पंग्राविवि/22/2015/404 नया रायपुर, दिनांक 28.7.15

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर,**
   छत्तीसगढ़
2. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत– छत्तीसगढ़
3. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जनपद पंचायत – छत्तीसगढ़

विषय :– **शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु दिशा–निर्देश।**

—00—

विभाग द्वारा शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के लिये आपसी स्थानांतरण के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया है:–

"शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों की परस्पर सहमति से समान विषय, संकाय एवं समान संवर्ग के बीच ही आपसी स्थानांतरण का प्रावधान होगा।"

आपसी स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित शर्तें प्रभावशील होंगी :–

1. शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के स्थानांतरण उनके स्वयं के व्यय पर होंगे।
2. स्थानांतरण केवल नियमित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग, जिनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त हो चुकी है, के ही होंगे।
3. स्थानांतरण हेतु दोनों नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी (पंचायत) की परस्पर सहमति आवश्यक होगी।
4. अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में आपसी स्थानांतरण की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र की शाला में कार्यरत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग तभी भारमुक्त होंगे, जब उनके एवजीदार द्वारा संबंधित शाला में कार्यभार ग्रहण कर लिया जायेगा।
5. छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 के नियम 6(1)(ग) के तहत व्याख्याता (पंचायत) एवं शिक्षक (पंचायत) के स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला पंचायत एवं सहायक शिक्षक (पंचायत) के स्थानांतरण आदेश संबंधित जनपद पंचायत द्वारा जारी किये जायेंगे।
6. संबंधित को स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर स्थानांतरित शाला में कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा।

कृपया शिक्षक (पंचायत)संवर्ग के कर्मचारियों के आपसी स्थानांतरण करते समय उपरोक्त शर्तों/निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम. के. राउत)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक / पंचा.–1206 / पंग्राविवि / 22 / 2015 / 405 नया रायपुर, दिनांक 28.7.15

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

---

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विकास विभाग मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
5. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. आयुक्त / संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर मुख्य सचिव 29.7
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक / पंचा.–1206 / पंग्राविवि / 22 / 2015 / 404 नया रायपुर, दिनांक 28.7.15

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत– छत्तीसगढ़
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत – छत्तीसगढ़

विषय :– शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु दिशा–निर्देश।

—00—

विभाग द्वारा शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के लिये आपसी स्थानांतरण के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया है:–

"शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों की परस्पर सहमति से समान विषय, संकाय एवं समान संवर्ग के बीच ही आपसी स्थानांतरण का प्रावधान होगा।"

आपसी स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित शर्तें प्रभावशील होंगी :–

1. शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के स्थानांतरण उनके स्वयं के व्यय पर होंगे।
2. स्थानांतरण केवल नियमित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग, जिनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त हो चुकी है, के ही होंगे।
3. स्थानांतरण हेतु दोनों नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी (पंचायत) की परस्पर सहमति आवश्यक होगी।
4. अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में आपसी स्थानांतरण की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र की शाला में कार्यरत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग तभी भारमुक्त होंगे, जब उनके एवजीदार द्वारा संबंधित शाला में कार्यभार ग्रहण कर लिया जायेगा।
5. छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 के नियम 6(1)(ग) के तहत व्याख्याता (पंचायत) एवं शिक्षक (पंचायत) के स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला पंचायत एवं सहायक शिक्षक (पंचायत) के स्थानांतरण आदेश संबंधित जनपद पंचायत द्वारा जारी किये जायेंगे।
6. संबंधित को स्थानांतरण आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर स्थानांतरित शाला में कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा।

कृपया शिक्षक (पंचायत)संवर्ग के कर्मचारियों के आपसी स्थानांतरण करते समय उपरोक्त शर्तों / निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम. के. राउत)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/पंचा.–1206/पंग्राविवि/22/2015/465 नया रायपुर, दिनांक 28.7.15

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

---

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विकास विभाग मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
5. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

29/7

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग